विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार सिमोन खड़िया पिता कोन्टा खड़िया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम कादोपानी खाता नं० 236 खेसरा नं० 6518 रकबा 1.33 ए० वर्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम कादोपानी खाता न० 236 प्लॉट न० 6518 सर्वे खतियान में किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सिमोन खड़िया पिता कोन्टा खड़िया ग्राम - कादोपानी के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
कादोपानी	71	236	6518	1.33 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.09.02 16:12:09 +05:30
Location: 192.168.9.65

Scanned with CamScanner